Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to remove the cap on number of applications recommended by Members of Parliament for seeking financial assistance under the Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)

श्री कौशलेद्र कुमार (नालंदा)ः प्रधानमंत्री सहायता कोऐ से मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वैसे तो सांसद अपने क्षेत्र के ही गरीब मरीजों के आवेदन को पी.एम.ओ. भेजते हैं,िकन्तु यह देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 वऐाॉ तक के आवेदन पी.एम.ओ. में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस तरह असाध्य रोगियों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। इधर यह सूचना मुझे दी गई है कि इस महीने तक आपके 12 या 20 केस पूरे हो चुके हैं, फिर अभी मेरे आवेदन पर विचार नहीं होगा। यह तो गरीब मरीजों के साथ उचित नहीं है, यह तो सरासर अन्याय प्रतीत होता है। आप सांसदों के आवेदन पर कैप लगा दिए है। यह सर्वथा उचित नहीं है। एक और समस्या गरीब मरीजों के साथ है कि वे अत्यंत गरीब ग्रामीण मरीज, जो कैंसर, हृदय रोग, न्यूरो, किडनी, लीवर, ऑर्थो जैसे गम्भीर एवं असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, किन्तु इलाज नहीं हो पाता है, चाहे सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त हॉस्पिटल ही क्यों न हो। उक्त मरीजों को अभी पी.एम.ओ. आधा खर्च ही देती है या अधिकतम सीमा 3.00 लाख रूपए तक फिक्स कर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि शेऐ राशि का उपाय मरीज नहीं कर पाता है और पी.एम.ओ. से फिक्स कर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि शेऐ राशि का उपाय मरीज नहीं कर पाता है और पी.एम.ओ. से दी गयी सहायता भी उन गरीबों के काम नहीं आती है। कुछ केस में तो इतना विलम्ब कर दिया जाता है कि मरीज की मृत्यु के बाद पैसा हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल तो मरीजों से पैसों का भुगतान पहले माँगती है।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अत्यंत ही मानवीय विऐाय पर विशेऐ ध्यान देने का आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप कैप हटवा दें, पूर्ण सहायता राशि दिए जाने की सुविधा दें और साथ ही साथ आवेदन जमा होने के अधिक से अधिक 15 दिनों के अंदर आवेदन का निपटारा हो। अगर किसी वजह से आवेदन निरस्त किया जाता है तो उसकी सूचना एक सप्ताह में दी जाये।